



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

PBR/निगरानी/धार/श्र.रा/2018/1962

केसरसिंह पिता देवीसिंह चमार, आयु 50 वर्ष
धन्धा—खेती, निवासी—ग्राम नौगांवा धार म0प्र0

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. सीमाबाई पति दिनेश जाति चमार
निवासी—नौगांवा धार म0प्र0
2. मुकेश पिता केसरसिंह जाति चमार
निवासी—नौगांवा धार म0प्र0

.....विपक्षीगण

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 मुजब

(श्रीमान् तहसीलदार महोदय, धार के प्रकरण क्रमांक 14/अ-70/2016-17
में पारित आदेश दिनांक 18/12/2017 से असंतुष्ट होकर)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, बालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भूरा/18/1962

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-4-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री केमोद्विवेदी द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। तहसीलदार तहसील व जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-12-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को तहसील न्यायालय द्वारा प्रतिपरीक्षण के पर्याप्त अवसर देने के बाद प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त करते हुये तथा आवेदक की ओर से पेशी दिनांक 18-12-17 को कोई उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरुद्धएकपक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया है जिसमें प्रथमदृष्ट्या कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p>	